2386

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

सत्यमेव जयते

Rs 20000 रु INDIA Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N. C. SHARMA, NOTARY
BADRI-NOIDA
DISTT. G. B.

J41354

विक्रय-पत्र

बैनामा अंकन 27,75,000/- रूपये। **स्टाम्प अंकन 2,22,000/- रूपये।**

विवरण विक्रय सम्पत्ति - कृषि भूमिधरी के चक नं0-165 के मूल गाटा संख्या 331 रकबा 9-0-0 पुख्ता व गाटा संख्या 332 रकबा 4-14-0 कुल दो खेत रकबई 13-14-0 पुख्ता का 1/3 भाग में से 1/2 भाग सम्पूर्ण अपना बकदर 2-5-13,1/5 पुख्ता को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला-गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय उप कोषागार
बावड़ी
6 FEB 2007
स्टाम्प नं० 5 2006
स्टाम्प नं० ....

रेटिना प्रोपर्टीज प्रा० लि० 1202 अन्तरिक्ष भवन 10 वाँ तल कस्तूरबा गाँधी मार्ग नई दिल्ली द्वारा गीताराम त्यागी

बैनामा 2775000/- ... 50000/-
... श्री ... 50200/- ... 600
श्री ... बारूराम
पुत्र श्री ... मोजी
निवासी ... बाड़ौली
मे कार्यालय ... जिला
गौतम बुद्ध नगर ... 6/2/07
समय मध्य ... व ... किया।

बारूराम ... 6/2/07

इस लेखपत्र का संपादन एवं उसमें लिखे
जरेबदल मु० 2775000/- रु० बैनामा
जिसमें से ...
नगद मेरे समक्ष ... श्री बारूराम प्रा. I- एवं केवल तम्मीलाइसे श्री गीताराम त्यागी वहैं अथराइस्ड रेटिना प्रोपर्टीज प्राइवेट लि० 1202 अन्तरिक्ष भवन 10वा तल कस्तूरबा गाँधी मार्ग न्यू दिल्ली।—

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

सत्यमेव जयते

INDIA

N. K. SHARMA, NOTARY
DADRI-NOIDA
DISTT. G. B. NAGAR

UTTAR PRADESH 141355

विक्रेता एवम् क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के नहीं है।

विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे व भूदान पट्टे आदि की नहीं है। संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
6 FEB 2007
स्टाम्प सं० 16 रु० 20000/- का
स्टाम्प नं० 15 में शामिल किया गया
कोषाधिकारी

जिनकी पहचान श्री ...... हरिओम ......
पुत्र श्री ...... पेशा खेती ......
निवासी ......
व श्री ......
पुत्र श्री ...... पेशा खेती ......
निवासी ......
ने की

सब रजिस्ट्रार दादरी
6/2/07

हरिओम

साक्षी भले प्रतीत होते है चिन्ह
अंगूठा नियमानुसार लिये गये ह

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH 141356

3

विक्रीत भूमिधरी भूमि जिसका सर्किल रेट 16,00,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर का है। किन्तु सर्किल रेट से अधिक पर स्टाम्प अदा किया गया है।

विक्रीत भूमि किसी जी0टी0रोड, राज्य रोड अथवा लिंक रोड पर स्थित नहीं है

6 FEB 2001
स्टाम्प सं0 17 रु0 20000
स्टाम्प सं0 15 में शामिल किया गया

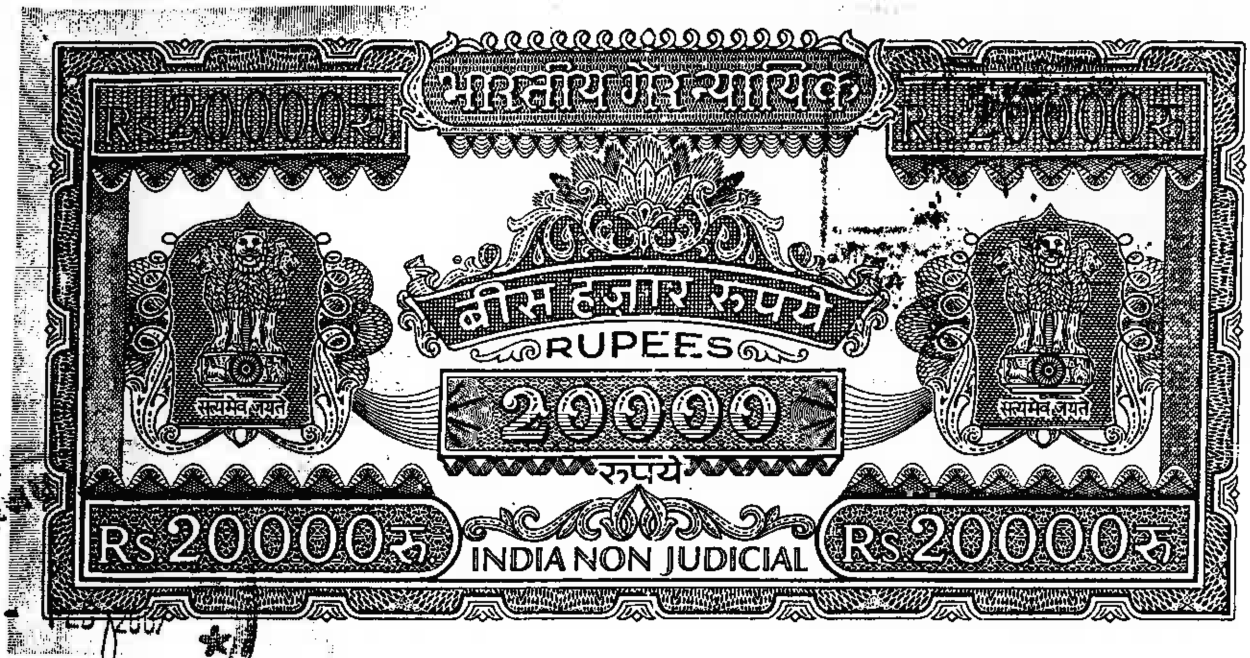

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH J41357

विक्रीत भूमि की बाबत क्रेता व विक्रेता दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा माहदा वय पंजीकृत नहीं हुआ है।

कार्यालय उप कोषागार
[illegible]
6 FEB 2001
स्टाम्प सं0 100 रू0 200
स्टाम्प सं0 15 में शामिल किया गया
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

FEB 2007

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

हम कि वासेराम पुत्र स्व0 श्री बंशी जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बोड़ाकी, परगना व तहसील दादरी, जनपद- गौतमबुद्धनगर। (विक्रेता, फरीक अव्वल)।

एवम्

रेटिना प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 1202 अन्तरिक्ष भवन, 10वां तल, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली 110001 द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी गीता राम त्यागी पुत्र स्व0 श्री दाताराम त्यागी निवासी के0एल0 57 कवि नगर गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) (क्रेता फरीक दोयम)।

वासेराम

कार्यालय उप कोषागार
6 FEB 2001
स्टाम्प सं0 12 रु0 20000
स्टाम्प सं0 11

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

141359

6

विदित हो कि ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला–गौतमबुद्धनगर की कृषि भूमिधरी भूमि के चक नं0–165 के मूल गाटा संख्या 331 रकबा 9–0–0 पुख्ता व गाटा संख्या 332 रकबा 4–14–0 कुल दों खेत रकबई 13–14–0 पुख्ता का 1/3 भाग में से 1/2 भाग सम्पूर्ण अपना बकदर 2–5–13,1/5 पुख्ता को बैनामा हाजा में बेचा गया है, जिसका फरीक अव्वल एकमात्र मालिक व संक्रमणीय भूमिधर स्वामी है। जोकि आज दिन तक फरीक अव्वल की ओर से हर प्रकार के भार, बंधक आदि से पाक साफ व सुरक्षित है। यानि कि किसी भी स्थान पर आड़, रहन, वय, हिवै, माहदावय, जमानत आदि से ग्रस्त नहीं है तथा उपरोक्त भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में कोई

कार्यालय उप कोषागार
6 ... 2001
...सं0. 20 ...रू0 20000
...नं0. 15 ... में प्रयोग किया गया

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 141360

7

वाद विवाद विचाराधीन नहीं है तथा फरीक अव्वल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हकदार या हिस्सेदार नहीं है। कोई कारण बाधा का उपरोक्त भूमिधरी भूमि को विक्रय करने में नहीं आता है। अतः फरीक अव्वल ने अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा में खूब सोच समझ कर बिना किसी दबाव व बहकाव के भूमि को सर्व अधिकार सहित आज की बजारू कीमत के बदले अंकन रूपये 27,75,000/— (सत्ताईस लाख पिहेत्तर हजार रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन रूपये 13,87,500/— होते है में इसी समय से हाथ उपरोक्त फरीक दोयम

कार्यालय उप कोषागार
[illegible]

6 FEB 2004

स्टोक सं0 51 ता0 2004

स्टाम्प सं0 15 में अंकित किया गया

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रूपये

RUPEES

20000

रूपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

141361

8

को बेच दी तथा कतई वय कर दी तथा समस्त विक्रीतधन अर्थात भूमि की कुल कीमत निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करके बेची भूमि को कब्जे अधिकार अपने से निकाल कर कब्जे अधिकार फरीक दोयम में देकर उस पर फरीक दोयम को अपने ही समान मालिकाना मालिक काबिज व दखिल कर दिया है। अब वैय किये पश्चात विक्रीत भूमि के किसी भी अंश से फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल का कोई वास्ता या ताल्लुक किसी भी किस्म का शेष नहीं रहा है तथा ना ही भविष्य में होगा। कब्जा मौके पर फरीक दोयम को बहैसियत मालिक पूर्ण रूप से करा दिया है। अब आज की तारीख से ही फरीक दोयम को सर्वथा

नासिरा

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

6 FEB 2001

स्टाम्प सं0 22 रू0 20000 का
स्टाम्प सं0 15 में अंकित किया गया

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

141362

हक व अधिकार होगा कि वह खरीदकर्ता कृषि भूमिधरी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग मालिकाना अपने में लाकर चाहे जिस प्रकार से मालिकाना लाभ उठावें। यदि विक्रीत भूमि का कोई अंश किसी भी नुक्श कानूनी कमी आदि के कारण से कब्जे मालिकाना क्रेता फरीक दोयम से निकल जावेगा या कब्जा फरीक दोयम को न मिले या फरीक अव्वल मालिकाना मालिक हस्ताक्षरकर्ता सिद्ध न हुआ या अन्य किसी कारण से कब्जे मालिकाना फरीक दोयम से कुल या आंशिक रूप से निकल जावेगी तो हर ऐसी दशा में फरीक दोयम को हक होगा कि वह उस समय की बजारू कीमत को जिस प्रकार चाहे बजरिये अदालत फरीक

कार्यालय उप कोषागार
सांवली

6 [illegible] 2001

स्टाम्प नं0 93 रु0 20000 का
स्टाम्प नं0 15 में शामिल किया गया

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

141363

10

अव्वल व वारसान फरीक अव्वल की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। दाखिल खारिज बेची भूमिधरी का बनाम फरीक दोयम के करा दूँगा या फरीक दोयम इस विक्रय पत्र के आधार पर सरकारी अभिलेखों में अपना नाम स्वयं दर्ज करा लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तथा आस–पास भी कृषि भूमि है।

कार्यालय उप कोषागार
बावडी
6 FEB 2001
स्टाम्प सं0 24 रु0 2002 का
स्टाम्प नं0 15 में प्रमाणित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 141364

11

<u>विवरण धन पाने की:–</u> 27,75,000/– रूपये पेशगी फरीक अव्वल विक्रेता ने फरीक दोयम क्रेता से प्राप्त कर लिये। अब कोई पैसा विक्रेता का क्रेता की ओर बाकी नहीं रहा है।

कार्यालय उप कोषागार
दावरी
6 FEB 2001
स्टाम्प सं0 25 रु0 20000 का
स्टाम्प सं0 15 में शामिल किया गया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 139324

उपरोक्त लिखित दस्तावेज फरीक अव्वल व फरीक दोयम की जानकारी के आधार पर तैयार की गयी। दस्तावेज पर चस्पा फोटो गवाहों के कथन पर सत्यापित है। खेत का फोटो सलंग्न है।

कार्यालय उप [illegible]
[illegible]
6 FEB 2007
स्टाम्प नं० 26 रु० 1000
स्टाम्प नं० 15 में शामिल किया गया
[illegible] सेक्रेटरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 139325

13

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे। इति।।

गवाह - 1

गवाह - 2

तारीख 06-02-2007ई0 मसौदाकर्ता **राधेश्याम अग्रवाल,** बैनामा लेखक, दादरी (गौतमबुद्धनगर) लाइसेन्स नं0-1

राधेश्याम अग्रवाल
बैनामा लेखक
तहसील-दादरी
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

6 Feb 2007

स्टाम्प नं0 27 ... में शामिल किया गया
स्टाम्प नं0 15 ...

आज दिनांक 6/2/07 को फोटोस्टेट प्रति पुस्तक संख्या 1 खण्ड संख्या 493 के पृष्ठ 275 से 302 पर क्रम संख्या 2324 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक
दादरी